न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दिनांक– 3.4.2018

प्रकरण संख्या – /2018(राजस्व वाद)

निर्णय दिनांक – 3.4.2018

अनवान

तहसीलदार बनाम कृषकगण

सागवाडा ओबरी

निर्णय

तहसीलदार सागवाडा की ओर से प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम ओबरी जमाबन्दी संवत 2071–74 के खसरा नम्बर कुल किता 39 आवंटन/नियमन /बंटवारा के समय में जमाबन्दी व नक्शों में तीन डीजीट में नामान्तरकरण दर्ज िकर तरमीम किए गए है ।

वक्त चौसाला जमाबन्दी बनाते समय कम्प्यूटर द्वारा दो डिजिट में ही खसरों का इन्द्राज लेनें से हुई त्रूटियों को वर्तमान जमाबन्दी व नक्शेां में दुरूस्त किए जाने का आदेश हेतु निवेदन किया गया है ।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद प्रकृति का होकर राज0भू0रा0 अधिनियम की धारा 136 की श्रेणी का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

तहसीलदार सागवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करते वांछित संशोधन के लिए अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की है । अतः तहसीलदार सागवाडा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधन के आदेश दिए जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 3.4..2018 को सुनाया गया । आदेशानुसार तहसीलदार सागवाडा को पालनार्थ लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा